अध्याय 12
अग्रिम विनिर्णय

नियम 103 : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति

[1][सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01. 07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :
''केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी।''